न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–58/2011–12

पारस महतो बनाम राज्य एवं अनिता सिन्हा

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

22/5/18

यह पुनरीक्षण वा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 28/2010–11 में दिनांक 28.09.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष

1. श्री पारस महतो, पिता स्व0 मोहन महतो, मोहल्ला–सन्दलपुर, थाना–बहादुरपुर, जिला–पटना।

द्वितीय पक्ष

1. बिहार राज्य
2. श्रीमती अनिता सिन्हा, पति रंजीत कुमार, क्वार्टर नं0 ए/156, पी0सी0 कॉलोनी, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
पटना सदर	संदलपुर	11	74	391	1900 वर्गफीट

आवेदक का कहना है कि

(1) सर्वे खतियान में खेसरा सं0 391 मंगरू महतो एवं उनके भाई के नाम से दर्ज है, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में बकब्जे मंगरू महतो दर्ज है। इस आधार पर मंगरू महतो प्रश्नगत सम्पूर्ण खेसरा 391 के मालिक एवं दखलकार हुए। मंगरू महतो अपने पीछे एकमात्र पुत्र मोहन महतो को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। मोहन महतो प्रश्नगत खेसरा पर दखलकार हुए।

(2) मोहन महतो अपने पीछे पाँच पुत्र रामस्वरूप महतो, राम लखन महतो, राम सेवक महतो, जय नारायण महतो एवं पारस महतो को छोड़कर स्वर्ग सिधार गये।

(3) मोहन महतो की मृत्यु के उपरान्त उनके पाँच पुत्रों के बीच दिनांक 03.07.1993 को खानगी बंटवारा हुआ। उक्त बंटवारा में अन्य भूखण्ड के साथ सभी पांच पुत्रों को प्रश्नगत खेसरा सं0 391 का दो–दो कट्ठा हिस्सा में प्राप्त हुआ।

(4) आवेदक के द्वारा खानगी बंटवारा के आधार पर अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत खेसरा सं0 391 के 2 कट्ठा के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदन दिया गया। सम्यक जाँचोपरान्त दाखिल खारिज की स्वीकृति देकर आवेदक पारस महतो के नाम से जमाबंदी सं0 $\frac{2712}{1}$ कायम की गयी तथा आवेदक के द्वारा लगान का भुगतान किया जाने लगा।

(5) आवेदक एवं उकने पुत्र का प्रश्नगत खेसरा 391 रकबा 2 कट्ठा पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। पूर्व में आवेदक उक्त भूखण्ड पर सिंघाड़ा उत्पादन का कार्य करते थे। कालान्तर में आवेदक के द्वारा गड़हे को भर कर उसकी चहारदीवारी कराकर उसमें दक्षिण दिशा की दो दूकान को निर्माण कराया गया।

(6) दूकान निर्माण के पश्चात आवेदक के द्वारा पटना नगर निगम में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। वाद सं0 838/54/2010–11 के अन्तर्गत जांचोपरान्त नगर निगम में आवेदक केनाम से दिनांक 11.03. 2011 को दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए, होल्डिंग सं0 $\frac{526}{23A}$ कायम की गयी।

(7) आवेदक अथवा उनके वंशज के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड की कभी किसी को बिक्री नहीं की गयी, परन्तु इस वाद की विपक्षी अनिता सिन्हा का कहना है कि पारस महतो के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 03.05.1985 के केवाला से कला सहकारी गृह निर्माण समिति को बेच दी गयी थी। उक्त समिति के द्वारा दिनांक 06.05.1986 के केवाला से प्रश्नगत भूखण्ड का 1900 वर्गफीट एवं एक डी मौजा सबलपुर थाना–राघोपुर, जिला–वैशाली की जमीन लगनमनी सिन्हा को बेच दी गयी।

उक्त एक डी भूमि गैरमजरूआ आम है। लगनमणी सिन्हा के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 12.12.1996 के बख्शीशनामा से विपक्षी अनिता सिन्हा को लिख दी गयी। इसी आधार पर आवेदक की जमाबंदी से 1900 वर्गफीट रकबा घटा कर विपक्षी अनिता सिंह के नाम से नई जमाबंदी कायम कर दी गयी।

(8) आवेदक के द्वारा सहकारी सोसाईटी के कोई भूखण्ड नहीं बेची गयी है। प्रश्नगत भूखण्ड आवेदक के दखल–कब्जा में है। लगान रसीद निर्गत हो रही है तथा भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र भी निर्गत है।

(9) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 28/2010–11 में पारित दिनांक 28.09.2011 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी अनिता सिन्हा का कथन है कि

(1) जमाबंदी रद्द वाद सं0 28/2010–11 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दिनांक 28.09.2011 को पारित आदेश पूर्णतः उचित एवं विधि सम्मत है।

(2) अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड मोहन महतो की थी।

बंटवारा में प्रश्नगत भूखण्ड मोहन महतो की पाँच पुत्रों में से एक पुत्र पारस महतो को मिली।

(3) पारस महतो के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड कला सहकारी गृह निर्माण समिति को बेच दी गयी। पुनः कला गृह निर्माण समिति के द्वारा दिनांक 06.05.1986 के केवाला से लगनमणी सिन्हा को बेच दी गयी। लगनमणी सिन्हा जो विपक्षी की माता है के द्वारा दिनांक 12.12.1996 के बख्शीशनामा से प्रश्नगत भूखण्ड विपक्षी अनिता सिन्हा को लिख कर उन्हें दखल दे दिया गया, दखल के पश्चात अनिता सिन्हा के नाम से जमाबंदी कायम की गयी तथा लगान रसीद निर्गत हो रही है।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 28/2010–11 में दिनांक 28.09.2011 को पारित आदेश को विधि सम्मत बताते हुए पुनरीक्षण आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छायाप्रति दाखिल की गयी है :–

(1) दिनांक 03.05.1985 का डीड जो पारस महतो के द्वारा कला सहकारी गृह निर्माण समिति को लिखा गया है।

(2) दिनांक 06.05.1986 का डीड जो कला सहकारी गृह निर्माण समिति के द्वारा लगनमणी सिन्हा को लिखा गया है।

(3) दिनांक 12.12.1996 का बख्शीशनामा जो लगनमणी सिन्हा के द्वारा विपक्षी अनिता सिन्हा को लिखा गया है।

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{540}{4}$ वर्ष 2010--11 का आदेश जिसके द्वारा विपक्षी अनिता सिन्हा के पक्ष में प्रश्नगत भूखण्ड 1900 वर्गफीट का दाखिल खारिज किया गया है।

(5) विपक्षी अनिता सिन्हा के नाम से निर्गत वर्ष 2010–11 की लगान रसीद

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के पारित आदेश के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) पारस महतो के द्वारा अपने हिस्से की जमीन में से प्रश्नगत खाता सं0 74 खेसरा सं0 391 रकवा $7\frac{2}{5}$डी0 भूखण्ड की बिक्री दिनांक 03.05.1985 के केवाला से कला सहकारी गृह निर्माण समिति को दी गयी। पारस महतो का कहना है कि उक्त डीड फर्जी है तथा उक्त डीड में एक डी भूमि गैरमजरूआ आम भूमि भी सन्निहित है, परन्तु डीड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त डीड मात्र खाता सं0 74 खेसरा सं0 391 रकवा $7\frac{2}{5}$डी0 से संबंधित है।

(2) कला सहकारी गृह निर्माण समिति के द्वारा दिनांक 06.05.1986 के केवाला से खेसरा सं0 391 रकवा 1900 वर्गफीट की बिक्री लगनमणी

सिन्हा को कर दी गयी। लगनमणी सिन्हा के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 3357 कायम की गयी।

(3) लगनमणी सिन्हा के द्वारा दिनांक 12.12.1996 के बख्शीशनामा से प्रश्नगत खेसरा सं0 391 रकवा 1900 वर्गफीट अपनी पुत्री अनिता सिन्हा को लिख दिया गया। तत्पश्चात दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{540}{4}$ वर्ष 2010–11 के द्वारा अनिता सिन्हा के नाम से दाखिल खारिज होकर लगनमणी सिन्हा की जमाबंदी पर अनिता सिन्हा का नाम दर्ज किया गया तथा लगान रसीद निर्गत की गयी।

(4) प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी इस वाद के आवेदक पारस महतो के नाम से भी कायम थी। अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा पारस महतो के नाम से कायम जमाबंदी में से प्रश्नगत खेसरा 391 रकवा 1900 वर्गफीट घटाने का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी को भेजा गया।

(5) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा उभय पक्ष को सुनकर यह आदेश पारित किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड 1900 वर्गफीट अनिता सिन्हा को निबंधित दस्तावेज से प्राप्त है, जिसके आधार पर अनिता सिन्हा के नाम से जमाबंदी कायम की गयी है, परन्तु पूर्व विक्रेता पारस महतो की जमाबंदी से प्रश्नगत भूखण्ड 1900 वर्गफीट को खारिज नहीं किया गया है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा पारस महतो की जमाबंदी से प्रश्नगत भूखण्ड 1900 वर्गफीट को खारिज करने का आदेश दिया गया।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी का यह भी मंतव्य है कि पारस महतो के द्वारा अपनी भूमि कला सहकारी गृह निर्माण समिति को नहीं बेचे जाने की बात कही जा रही है तथा दिनांक 03.05.1985 के केवाला को फर्जी बताया जा रहा है। दस्तावेज की सत्यता की जांच सक्षम व्यवहार न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी अनिता सिन्हा की जमाबंदी निबंधित डीड के आधार पर कायम है। आवेदक पारस महतो यदि डीड को फर्जी मानते है तो उसे निरस्त करने हेतु वह सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। जमाबंदी रद्द वाद सं0 28/2010–11 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा दिनांक 28.09.2011 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता,पटना

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना